संख्या-115/2017/2277/22-2-2016-17(457)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहन पुत्र श्री रूपचन्द्र निवासी जनपद-बाराबंकी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43967/पर-2/सलाहकार समिति (एम0 13-12-2016) दिनांक-15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मोहन पुत्र श्री रूपचन्द्र ग्राम-मदारपुर, थाना-कुर्शी, जिला बाराबंकी का निवासी है। दोनो पक्षों के मध्य काफी समय से मुकदमे बाजी को लेकर रंजिश चली आ रही थी। घटना के 01 दिन पहले बन्दी व उसके 06 सहअभियुक्त हनुमान एवं रामरतन को मुकदमें में सुलह करने हेतु अपने साथ ले गये, और बांके से मारकर दोनो की हत्या कर दी। दिनांक 15.03.1999 को सांय लग्भग 06:00 बजे कब्रिस्तान में दोनो की सिरकटी लाशें पायी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-407/1999 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148,120बी, 302/149, 120 बी के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी कोर्ट नं0-31, बाराबंकी द्वारा दिनांक 02.07.2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.2016 तक 17 वर्ष 06 माह 16 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 06 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 48 वर्ष लगभग है। प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी से प्राप्त अभिमत दिनांक 27.09.2016 में अवगत कराया है कि सिद्धदोष बन्दी मोहन पुत्र रूपचन्द्र निवासी मदारपुर,थाना-कुर्शी, जिला-बाराबंकी द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर एक साथ दो व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अन्य धराओं के साथ मिलकर धारा 302 भा0दं0सं0में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की जघन्यता एवं अभियुक्त द्वारा दण्डादेश के विरूद्ध योजित अपील को मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित रहने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सिद्धदोष बन्दी मोहन को नोमिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में सकारात्मक अभिमत दिया जाना न्यायाचित नहीं है। सलाहकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी ने 06 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अत्यन्त ही निर्दयता के साथ दो व्यक्तियों की नृशंस हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी की आयु 48 वर्ष है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा किये गये विरोध तथा मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोहन पुत्र श्री रूपचन्द्र को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी मोहन पुत्र श्री रूपचन्द्र, निवासी जनपद-बाराबंकी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-115/2017/2277/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।